न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :– करतार सिंह पूनीयॉ आर.ए.एस

अपील सं0 109/2019
आरसीएमएस नं. 2019/00109

1. भंवर सिह
2. सुलतान सिंह
3. गिरधारी सिह
4. रामू सिह
5. पाल सिंह
6. सुभाष सिंह
7. प्रहलाद सिंह

} पि0 अलख सिंह जाति रापूत निवासी खोपड़ा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ

8. सुमेर सिह
9. सरजीत सिह

} पि0 फकीर सिंह जाति राजपूत निवासी खोपड़ा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

–अपीलान्ट

बनाम

देवी सिंह पुत्र डुंगरसिंह जाति राजपूत निवासी खोपड़ा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

–असल रेस्पोडेण्ट

स्टेट ऑफ राजसीान जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर ।

– रेस्पोडैन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 225 आरटीएक्ट
विरूद्व निर्णय दिनांक 01.05.2017
द्वारा उपखण्ड अधिकारी, नोहर
प्रकरण संख्या 46/2016 बअनवान देवी सिंह बनाम भंवर सिंह

श्री विजय सिंह कड़वासरा अधिवक्ता अपीलाण्ट
श्री मदन मोहन जोशी अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट सं0 1
श्री राजेश कौशिक राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट सं0 2

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

निर्णय

दिनांक – 22.09.2022

1. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि रेस्पोडेण्ट सं0 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 आरटीएक्ट में एक प्रार्थना–पत्र पेश किया जिसमें रोही मौजा खोपड़ा तहसील नोहर की प्रश्गनत 40.3360 है0 भूमि में सायल व गैरसायलान दावा में दिगर तरतीबी प्रतिवादीगण अन्य काश्तकार के साथ सह खातेदार काश्तकार होने का कथन करते हुए कथन कियाकि गैरसायलान सं0 1 से 9 सायल वदावा में दीगर प्रतिवादीगण सं0 10 ता 18 के साथ रंजिश रखते हैं तथा वे सायल व दावा में दीगर प्रतिवादीगण सं0 10 ता 18 की कब्जा काश्त की भूमि में मदाखलत बेजा करते हैं। भूमि का कब्जा कर बैचान करने की नियत बना रखी है जबकि सायल व दावा में दीगर प्रतिवादीगण अपनी 70 साल पहले बाहमी बंटवारा में प्राप्त भूमि पर शांतिपूर्वक काश्त करते आ रहे हैं। यदि गैरसायल 0 1 ता 9 अपने मकसद में कायमब हो जाते हैं तो सायल को अपूर्णय क्षति होगी ना पुरा होने वाला नुकसान होगा इसलिए इनके विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे। गैरसायल सं0 1 ता 9 ने जवाब प्रार्थना–पत्र पेश किया कि सायल गैरसालान को अपनी भूमि बेचान करने के लिए पाबन्द नहीं करवा सकता है तथा गैरसायलान नं0 9 ने अपने हक व हिस्सा की भूमि में से 6 बीघा भूमि दिनांक 29.04.2016 को बेचान कर मौका पर कब्जा सम्भला दिया था। सायल अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकरी नहीं है। बैयनामा का नामान्तरण ना हो इसलिए अस्थाई निषेधाज्ञा चाहते हैं। सायल के साथ कभी झगड़ा नही हुआ कभी काई बाहमी बंटवारा नहीं हुआ मात्र हैरान परेशान करने के लिए यह प्रार्थना–पत्र पेश किया है जो खारिज किया जावे। विचारण न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश के द्वारा ताफैसला अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।

2. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि सायल व गैरसायलान मुश्तरका खातेदार काश्तकार हैं तथा मुश्तरका खातेदार काश्तकार को किसी भी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद नहीं किया जा सकता है क्यों कि प्रत्येक इंच पर प्रत्येक काश्तकार का कब्जा माना जाता है। मातहत अदालत ने मूल सहकाश्तकार की बजाय अजनबी क्रेता को बिना वजह फायदा देने के लिए उसकी बैयनामा के आधार पर नामान्तरण की छूट दे देती है जबकि गैरसायालन अपीलाण्ट सहकाश्तकार को उसकी हिस्से की भूमि पर कोई फायदा लेने की रोक लगाकर कानूनन के खिलाफ

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

निर्णय पारित किया है। कानूनन का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि रिकाडेर्ड सहकाश्तकार को किसी भी प्रकार की निषेधाज्ञा से पाबंद नहीं किया जा सकता है। एक पक्ष को सब प्रकार के उपयोग लेने की छूट देती है जबकि दूसरे पक्ष सहकाश्तकार को मुश्तरका खातेदारी भूमि के सब प्रकार के उपयोग लेने की सुविधा से वंचित कर दिया है जो कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के खिलाफ है। अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनों बिन्दूओं प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन, अपूर्णीय क्षति को किसी भी प्रकार से साबित नहीं किये हैं। विचारण न्यायालय का आदेश विधि सम्मत नहीं है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे।

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट सं0 1 ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रश्गनत संयुक्त खाता की भूमि है। गैरसायलान सं0 1 से 9 सायल वदावा में दीगर प्रतिवादीगण सं0 10 ता 18 के साथ रंजिश रखते हैं तथा वे सायल व दावा में दीगर प्रतिवादीगण सं0 10 ता 18 की कब्जा काश्त की भूमि में मदाखलत बेजा करते हैं। भूमि का कब्जा कर बैचान करने की नियत बना रखते है जबकि सायल व दावा में दीगर प्रतिवादीगण अपनी 70 साल पहले बाहमी बंटवारामें प्राप्त भूमि पर शांतिपूर्वक काश्त करते आर हे ह। यदि गैरसायल 0 1 ता 9 अपने मकसद में कामयाब हो जाते हैं तो सायल को अपूर्णय क्षति होगी ना पुरा होने वाला नुकसान होगा इसलिए इनके विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई है जो विधि सम्मत है जब भूमि के खुर्द बुर्द होने का अंदेशा हो तो एक रिकार्डेड सह काश्तकार के विरूद्ध भी अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जा सकती है। है। विचारण न्यायालय का आदेश विधि सम्मत है। अपीलाण्ट ने अपील विलम्ब से प्रस्तुत की है देरी का कोई समुचित कारण नहीं बताया है। अपीलाण्ट ने हैरान परेशान करने के लिए यह अपील पेश की अपील अपीलाण्ट खारिज की जावे। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में 2006 आरआरसी पेज 502, 2018'19 आरआरटी पेज 618, 2011-12 आरआरटी पेज 662 का न्यायिक दृष्टान्त पेश किया।

5. विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने विधि अनुसार निर्णय पारित करने का कथन किया।

6. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

7. अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना-पत्र सशपथ होने एवं अपील का निस्तारण गुणावगुण पर श्रेयस्कर होने के कारण प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाता है एवं अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

8. जहां तक गुणावगुण का प्रश्नगत है पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार प्रश्नगत भूमि संयुक्त की भूमि है और संयुक्त खाता की भूमि में से जरिये बैयनामा कुछ हिस्से का बेचान किया गया है। संयुक्त खाता की भूमि के विशेष भू भाग का बेचान नहीं

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

किया गया है। जबतक खाता विभाजन ना हो कानूनन संयुक्त खाता की भूमि में हिस्से का बेचान किया जा सकता है। इसलिए प्रश्गनत बैयनामा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन को नहीं रोका जा सकता है। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त आरआरसी 2006 पेज 502 में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि रिकाडेर्ड खतोदार के कब्जा को न्यायालय द्वारा सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए। जब तक वाद में यह निर्णय नहीं हो जाता कि रेस्पोडेण्ट प्रश्गनत भूमि जो उसके कब्जा काश्त में है पाने के अधिकारी हैं या नही तब तक सायल के कब्जा काश्त से बेदखल किया जाना न्यायोचित नही है। अर्थात रेस्पोडेण्ट अपीलाण्ट को पाबन्द करवाने का अधिकारी है कि वह रेस्पोडेण्ट के कब्जा कातश में मदाखलत बेजा ना करे। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने योग्य है।

9. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है एवं सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर का अपीलाधीन आदेश दिनांक 01.05.2017 यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित भिजवाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

10. निर्णय आज दिनांक 22.09.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

22/9/22

(करतारसिंह पूनीयाँ)

आर.ए.एस

राजस्व अपील प्राधिकारी

हनुमानगढ़